

लेखन नम्बर 406/18 तारीख रजु 15.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का..... वनाम

श्री शमलिका पुत्र 37 जाति 2222 निवासी 2222 तहसील 1797

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

दिनांक:- 6.3.18

निर्णय:-

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शमलिका ने ग्राम 2222 को भूमि ख.न. 881 रकबा 0.25 किस्म 2222 फसल रबि/खरीफ संवत 2017

में कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 881 रकबा 0.25 किस्म 2222 वाके ग्राम 2222 से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.00 रु. 50 गुणा 250.00 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल 2222 को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

नायब तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/ध को पेश नं० 112 वर्ष 2017-18 की राशि 250.00 रु. की जमा फसल की दिनांक 12/3/18 तहसील लेखाकार महवा